**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2754**

**दिनांक 18.03.2020/28 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**महिलाओं के बलात्कार और हत्या के मामलों में बढ़ोतरी**

**2754. श्री संजय सिंहः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के बलात्कार और हत्या के मामलों में 31 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है;**

**(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और**

**(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )**

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन ‘क्राइम-इन-इंडिया’ में अपराधों से संबंधित सूचना संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2018 तक के लिए उपलब्‍ध हैं। प्रकाशित सूचना के अनुसार, वर्ष 2017 और 2018 में ‘बलात्‍कार/सामूहिक बलात्‍कार के साथ हत्‍या’ की महिला पीडि़तों की संख्‍या क्रमश: 227 और 296 सूचित की गई थी।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्‍यवस्‍था’ राज्‍य के विषय हैं। कानून और व्‍यवस्‍था बनाए रखने तथा महिलाओं के प्रति अपराध सहित नागरिकों के जान-माल की रक्षा का उत्‍तरदायित्‍व संबंधित राज्‍य सरकारों का है। राज्‍य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधानों

 **-2-**

**रा.स.अता.प्र.सं. 2754 दिनांक 18.03.2020**

के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। तथापि, भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्‍व देती है और उसने इस संबंध में कई पहलें की हैं, जो नीचे दी गई हैं:

1. यौन अपराधों के प्रभावशाली निवारण के लिए, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, जांच और विचारण को 2 महीनों के अंदर पूरा करने का भी अधिदेश दिया गया है।
2. आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्‍ट्रीय मान्‍य नम्‍बर (112) पर आधारित प्रणाली की व्‍यवस्‍था है, जिसमें कंप्‍यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्‍थान पर पहुंचाया जाता है।
3. गृह मंत्रालय ने अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को नागरिकों हेतु साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है।
4. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। ये परियोजनाएं, राज्‍य सरकारों द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों में अवसंरचना, प्रौद्योगिकी को अपनाने और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्‍यम से समुदाय के क्षमता संवर्धन सहित महत्‍वपूर्ण संसाधनों के विकास हेतु महिलाओं के प्रति अधिक अपराध वाले स्‍थलों (हॉट स्‍पॉट्स) की पहचान की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए तैयार की गई हैं।
5. गृह मंत्रालय ने पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को “यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस” (एनडीएसओ) शुरू किया है।

**-3-**

**रा.स.अता.प्र.सं. 2754 दिनांक 18.03.2020**

1. गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसका पता लगाने के लिए “यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली” नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल शुरू किया है।
2. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण इकाई की स्थापना करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उनका स्तरोन्नयन करने की भी मंजूरी प्रदान की है।
3. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के संबंध में दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता को बढ़ाने के लिए जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन संबंधी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं।
4. सरकार ने नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने, विभिन्न स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, एफआईआर को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के लिए एडवाइजरी जारी करने और एफआईआर दर्ज न करने पर इसके लिए दंडात्मक प्रावधान करने आदि हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इससे महिलाओं के प्रति अपराध की रिपोर्टिंग में सुधार हुआ है।
5. उपर्युक्‍त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in) पर उपलब्‍ध हैं।

\*\*\*\*